उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U 4 0 1 0 1 U P 1 9 8 0 S G C 0 0 5 0 6 5

पत्र सं0: 888–मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2016–5 मा0सं0–03 / 2015 दिनांक: 22-04-2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता के पद पर अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम–1994 की धारा 3(7) के अन्तर्गत पदोन्नति से लाभान्वित कार्मिको को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 एवं शासनादेश संख्या 8 / 4 / 1 / 2002 टी0सी0–1–का–2 / 2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में दिनांक 15.11.1997 से 28.04.2012 के मध्य प्रोन्नत कार्मिकों को पदावनत किये जाने से सम्बन्धित निगमादेश संख्या 3072–मा0सं0–03 / उनिलि / 2015 दिनांक 03.10.2015 के विरूद्ध सम्बन्धित अभियंताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समेकित रूप से एतदद्वारा निम्नवत् निस्तारण किया जाता है:–

क0 सं0	प्रत्यावेदन के बिन्दु	निस्तारण / टिप्पणी
1	यह है कि प्रार्थी को परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता के पद पर नियुक्ति तथा अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत वरिष्ठता के आधार पर प्राप्त पदोन्नति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित अधिनियम–1994 धारा–3(7) अथवा नियम–8(क) का कोई लाभ नही मिला है जिससे प्रार्थी का पदावनत अनुचित, असंवैधानिक एवं त्रुटि पूर्ण है। अवर अभियता के 155 पदो हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन सख्या 7042–विसे0 आ0 / अवर अभियंता (विभागीय) दिनांक 27.10.1998 के विरूद्ध अवर अभियता के ये पद वर्ष 1997 के पूर्व के बैक लॉग के थे को विज्ञापित किया गया था। आरक्षित वर्ग के उक्त रिक्त पद विभाग द्वारा नयी भर्ती करने के बजाय इन्हे विभागीय कर्मियों द्वारा चयन के माध्यम से भरा गया। यदि ये पद चयनित विभागीय कर्मियो के द्वारा नहीं भरे गये होते तो इन पदो के सापेक्ष विभाग को अवर अभियता पद हेतु आरक्षित वर्ग की नयी भर्तियॉ करनी पडती।	विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 7042 / विसेआ / अव0अभि0 (विभागीय) दिनांक 27.10.1998 के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 155 रिक्त पदों के विरूद्ध परिचालकीय संवर्ग में कार्यरत विभागीय कार्मिको की उ0प्र0 लोक सेवा अधिनियम 1994 की धारा 3(7) का लाभ देकर अवर अभियंता (सा0श्रे0) पद पर वर्ष 2000 में प्रोन्नति की गयी थी तत्पश्चात मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / आदेश के अनुपालन में निगमादेश संख्या 3072–मा0स0–03 / 2015 दिनांक 03.10.2015 द्वारा वर्ष 2000 मे प्रोन्नत अवर अभियताओं की प्रोन्नति को निरस्त करते हुए उनके पूर्व के पद पर पदावनत कर दिया गया तथा उनको अगले चयन वर्ष में चयनित मानते हुए वर्ष 2005 में प्रोन्नत पाये कार्मिको मे अनारक्षित वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिक के ठीक नीचे उनकी पारस्परिक वरिष्ठता क्रम में रखा गया है। तद्नुसार अवर अभियताओं की एकल वरिष्ठता सूची में आपको यथा संशोधित स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। अतः नियमानुसार संशोधित वरिष्ठताक्रम में आपको सहायक अभियंता पद पर अर्ह होने पर प्रोन्नत प्रदान की जायेगी जबकि अवर अभियंताओं की एकल वरिष्ठता सूची मे आपसे कनिष्ठ अवर अभियंता को 3(7) का लाभ प्राप्त न होने के कारण पदावनत नहीं किया गया है एवं तद्नुसार उनकी सहायक अभियंता पद पर स्थिति यथावत है। 155 पद बैकलॉग कोटे के अन्तर्गत अवर अभियता के पदोन्नति कोटे के रिक्त पद थे। अतः इन प्रोन्नति के पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना नियमानुकुल न होने के कारण सम्भव नही था। यदि आरक्षित वर्ग के इन रिक्त पदों पर नई भर्ती हेतु विभागीय कार्मिको के साथ–साथ अन्य बाहर से इच्छुक आवेदक भी आवेदन करते। तब आरक्षण का लाभ प्राप्त कार्मिको का चयन शत् प्रतिशत सम्भव न होता।

cc. HR 03.2016

2	विद्युत विभाग में अवर अभियंता का पद Induction Post है। अर्थात इस पद पर नयी भर्तियॉ ही होती है, न कि प्रोन्नति।	अवगत कराना है कि U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 के भर्ती के श्रोत के नियम 5(बी) अनुसार अवर अभियंता के पद पर भर्ती निम्नवत् की जाती है:– (i) सीधी भर्ती द्वारा (ii) प्रोन्नति द्वारा नियम 17 एवं 18 में दिये गये प्राविधानानुसार अर्थात अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा प्रोन्नति के पदों को भरे जाने का प्राविधान है।
3	प्रार्थी का अवर अभियंता पद पर चयन परिचालकीय वर्ग/लैब असिस्टेन्ट के पद से लिखित परीक्षा तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर हुआ था। उपरोक्त चयन प्रकिया में लैब असिस्टेन्ट को भी अवसर दिया गया। यदि यह प्रोन्नति होती तो केवल परिचालकीय वर्ग के कार्मिको को ही अवसर मिलता न कि लैब असिस्टेट को इससे स्पष्ट होता है कि यह चयन प्रकिया ही है।	कार्यालय ज्ञाप संख्या 1416– मा0सं0–03/ उनिलि/ 2008, दिनांक 18.06.2008 द्वारा लैब असिस्टेंट परिचालकीय संवर्ग में आते है।
4	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1513–मा0सं0–03/ उनिलि/2012–5(8)– मा0सं0–03/ 2012 दिनांक 27.06.2012 के द्वारा स्पष्ट कर चुका है कि यह प्रकिया प्रोन्नति नहीं चयन है। यह भी कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों का अवर अभियंता के पद प्रोन्नति का पद न होकर चयन का पद है। जिसकी आख्या स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (ई0एण्डएम0) रेग्यूलेशन 1972 के सम्बन्धित प्राविधानों में भी किया गया है तथा समय–समय पर पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आदेश जारी किये गये है। 1. आदेश संख्या 153 का0वि0 नि0 (1) रा0वि0प0–29/96–4(3)पी186दिनांक 03.04.1996 2. आदेश संख्या 4(1)विनियम/पाकालि/12–2(21) एम0जी0 एम0/04 दिनांक 03.02.2012 एवं आदेश संख्या1513–मा0सं–03/ उनिलि/ 2012–5(8)–मा0सं0–08/2012 दिनांक 27.06. 2012	निगमादेश संख्या 1513–मा0सं0–03/ उनिलि/ 2012, दिनांक 27.06.2012 की अभियंताओं द्वारा त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गयी है उपरोक्त आदेश U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 में संशोधन न होकर मात्र परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको की वरिष्ठता के आधार पर अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति अवरूद्ध होने के कारण समयबद्ध वेतनमान की गणना हेतु स्पष्टीकरण है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको को अवर अभियंता पद का समयबद्ध वेतनमान देय नहीं है क्योंकि वही कार्मिक अवर अभियंता के वेतनमान हेतु अर्ह होते है जिनका परिचालकीय संवर्ग से चयन के माध्यम से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। अतः परिचालकीय संवर्ग के कार्मिको की इस मॉग के सम्बन्ध में कि उनको अवर अभियंता पद का समयबद्ध वेतनमान देय हो, के सम्बन्ध में निगमादेश संख्या 1513–मा0सं0–03/ उनिलि/ 2012, दिनांक 27.06.2012 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि परिचालकीय संवर्ग के सभी कार्मिको का अवर अभियंता पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जाती है बल्कि उन्ही कार्मिको को यह लाभ प्राप्त है जिनका चयन विद्युत सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार से किया जाता है। अतः उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परिचालकीय कार्मिको हेतु चयन कोई श्रोत नहीं है अपितु U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 के भर्ती के श्रोत के नियम 5(बी) अनुसार अवर अभियंता के पद पर भर्ती निम्नवत् की जाती है:– (i) सीधी भर्ती द्वारा (ii) प्रोन्नति द्वारा नियम 17(1) के प्राविधानानुसार अर्थात अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा प्रोन्नति के पदों को भरे जाने का प्राविधान है।

5	परिचालकीय श्रेणी में आरक्षित वर्ग के अनेक वरिष्ठ कार्मिक अभी भी अपने पूर्ववर्ती पद परिचालकीय श्रेणी पर ही कार्यरत है। अवर अभियंता का पद प्रोन्नति पद होने की स्थिति में ऐसे वरिष्ठ कार्मिक, प्रार्थी से पहले ही सहायक अभियंता के पद पर तैनात होते। अतः इस प्रकिया को प्रोन्नति नहीं माना जा सकता मुख्य सचिव उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 8/4/1/2002 (टीसी)–1–का–2/ 2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रस्तर 6(क) के अनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिकों को उस स्तर तक ही पदावनत किया जाना है। जिस स्तर पर शासनादेश दिनांक 08.05.2012 एवं दिनांक 13.05. 2012 द्वारा संशोधित ज्येष्ठता नियमावली अर्थात "वन टाइम सीनियारिटी" में उनसे कनिष्ठ कार्मिक कार्यरत है। अवर अभियंता की "वन टाइम सीनियारिटी" में उनसे कनिष्ठ (सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनों) वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अतः प्रार्थी का पदावनत किया जाना उपरोक्त शासनादेश का अतिक्रमण है, जो कि न्याय संगत नहीं है। पत्र संख्या 412–मा0सं0–03/उनिलि/ 2005–9(31)–मा0सं0 –03/ उनिलि/ 2002 दिनांक 26.02. 2005 के द्वारा टी0जी0 –।। से अवर अभियन्ता के पद पर सभी वर्गो के 345 अवर अभियंताओं की नियुक्ति वर्ष 2005 में की गयी तथा पत्र संख्या 2498–मा0सं0–01/विउनिलि/2012–01–मा0सं0 –01/2000 (टी0सी0) दिनांक 26.06.2012 के द्वारा वर्ष 2005 में नियुक्ति अवर अभियंताओं को वरिष्ठता के आधार पर 79 सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नत किया गया। वर्ष 2012 प्रोन्नत सहायक अभियंताओ की सूची में अनारक्षित वर्ग के अनेको सहायक अभियंता प्रार्थी से काफी कनिष्ठ है सूची संलग्न है। पदावनति के उपरान्त आदेश संख्या 3741 मा0सं0–03/उनिलि/2009–5(8)–मा0सं0–03/ उनिलि/ 2009दि 01.09.2009 एवं पत्र संख्या 889–मा0सं0–03/उनिलि/2011–5(8)–मा0सं0–03/ उनिलि/2009 दिनांक03.10.2005 में चयनित अवर अभियंताओं के ठीक नीचे रखा गया है जो कि पूर्णतः अनुचित है उपरोक्त पत्र के आधार से कनिष्ठ रखने का कोई प्राविधान नहीं है।	आरक्षित वर्ग के अर्ह वरिष्ठ कार्यरत कार्मिक यदि आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रकिया में आवेदन करते तो सफल होने पर उन्हे भी पदोन्नति का लाभ प्राप्त होता। परिचालकीय संवर्ग के विभिन्न कार्मिक अवर अभियंता पद हेतु आवेदन करते है उनकी कोई एकल वरिष्ठता नहीं होती है अपितु उनकी परियोजना स्तर पर वरिष्ठता निर्धारित होती है, उनकी अवर अभियंता पद पर पदोन्नति विद्युत सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित/ साक्षात्कार/ प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर की जाती है इस प्रकिया में सफल अभ्यर्थियो की अवर अभियंता (सा0 श्रे0) पद पर पदोन्नति की जाती है। वर्ष 2000 मे परिचालकीय संवर्ग से अवर अभिंयता पद पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत कार्मिको को शासनादेशानुसार पदावनत कर पुनः अगले चयन में चयनित मानते हुए वर्ष 2005 में प्रोन्नत अवर अभियंताओं में सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिक के ठीक नीचे सज्जित/स्थापित किया गया। अतः वर्ष 2005 में प्रोन्नत अवर अभिंयता जो कि वर्ष 2000 में प्रोन्नत अवर अभिंयता की एकल वरिष्ठता सूची में आरक्षण का लाभ प्राप्त वर्ष 2000 के अवर अभिंताओं से कनिष्ठ होते हुए भी शासनादेश की अनुरूपता में उनकी वरिष्ठता अप्रभावित रहने के कारण वरिष्ठ हो गये है। वर्ष 2012 में प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की सूची में अनारक्षित वर्ग के अनेकों सहायक अभियंता सूची संलग्नानुसार यद्यपि वर्ष 2000 में प्रोन्नत अवर अभियंता से कनिष्ठ है तथापि पदावनत के फलस्वरूप अवर अभियंता पद पर संशोधित एकल वरिष्ठता सूची अनुसार वरिष्ठ हो गये है। परिचालकीय संवर्ग की वरिष्ठता के आधार पर अग्रेतर पदों पर प्रोन्नति हेतु तुलना करना तर्क संगत नहीं है क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति नहीं की जा जाती है।
6	यह है कि प्रार्थी को विभाग में परिचालकीय श्रेणी द्वितीय (टी0जी0–02) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति दिनांक 04.10.1986 को हुई है, जबकि प्रार्थी के पश्चात् टी0जी0–2 के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति किये गये निम्नलिखित कार्मिक अर्थात प्रार्थी से कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कार्मिक वर्तमान में	**कम संख्या 01–** श्री रमेश चन्द्र आरक्षित वर्ग के (टीजी0–2/1989 बैच) जो कि वर्ष 2000 में परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता पद पर बैकलॉग कोटे के रिक्त पदों के विरूद्व प्रोन्नत किये गये थे इन्हें धारा 3(7) का लाभ लेकर प्रोन्नति प्रदान की गयी। अतः इन्हें पदावनत कर वर्ष 2005 में सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित अवर अभियंता के ठीक नीचे

*	सहायक अभियंता के पद पर यथावत कार्यरत हैं। जिसका उदाहरण निम्नवत् प्रस्तुत है:– <table><tr><th>क0सं0 एवं वर्ग</th><th>कार्मिको का नाम</th><th>परिचालकीय संवर्ग में नियुक्ति एवं वर्ष</th><th>अव0अभि0 के पद पर नियुक्ति तिथि / वरिष्ठता सं0</th><th>सहा0 अभि0 के पद पर प्रोन्नति वर्ष / अभिज्ञान सं0</th><th>टिपण्णी</th></tr><tr><td>1. आरक्षित वर्ग</td><td>रमेश चन्द्र</td><td>टीजी–2 / 1989</td><td>17.04. 2001 (2000046)</td><td>06.08.2009 (2009162)</td><td>अवर अभि0 के पद पर पदावनत किया गया है।</td></tr><tr><td>2. आरक्षित वर्ग</td><td>राजेन्द्र प्रसाद</td><td>टी0जी0 –2 / 1989</td><td>01.03.2005 (2005048)</td><td>2012 (2012068)</td><td>सहायक अभि0 के पद पर यथावत कार्यरत है।</td></tr><tr><td>3. सामान्य वर्ग</td><td>राम प्रकाश राय</td><td>टी0जी0 –2 / 1989</td><td>01.03. 2005 2005054)</td><td>2012 (2012078)</td><td>तदैव</td></tr></table>* की अनुरूपता में समस्त प्रत्यावेदनकर्ताओं के परिप्रेक्ष्य में उदाहरार्थ प्रस्तुत।	अपने बैच के वरिष्ठता क्रम में सज्जित / स्थापित किया गया है। वर्ष 2005 की संशोधित वरिष्ठता सूची के क्रम में ये सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह नही हैं। **क्रम संख्या 2–** श्री राजेन्द्र प्रसाद टी0जी0–2 / 1989 बैच के वर्ष 2005 में अवर अभियंता के पद पर आरक्षित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त किये गये। श्री राजेन्द्र प्रसाद के वर्ष 2005 के चयन में (प्राप्तांक 155.75) है। अवर अभियंता की मेरिट में नियतन स्थान पर अवस्थित सामान्य वर्ग के कार्मिक के (प्राप्तांक 127.5) है। अतः सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिक से अधिक अंक प्राप्त करने के कारण श्री प्रसाद को पदावनत नहीं किया गया। वरिष्ठतानुसार क्रमांक 632 पर होने के कारण प्रोन्नत किये गये है। **क्रम संख्या 3–** इं0 राम प्रकाश राय वर्ष 2005 में सामान्य वर्ग (प्राप्तांक 154.5) के अभ्यर्थियों के विरूद्ध अवर अभियंता पद पर प्रोन्नत हुये थे वरिष्ठतानुसार क्रमांक 643 पर होने के कारण प्रोन्नत किये गये है। परिचालकीय संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची न होकर परियोजनावार वरिष्ठता सूची बनाई जाती है। परिचालकीय कार्मिको की अवर अभियंता पद पर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति नहीं होती है।
7	यह कि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में निवेशित याचिका संख्या 3782 (एस / एस) 2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.08.2004 के अनुपालन में वर्ष 2000 में परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता पद हेतु ली गई परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची के आदेश पर निगमीय कार्यालय ज्ञाप सं0102–मा0सं0–03 / उनिलि / 2005–9(31)मा0सं0–03 / 2002 दिनांक 15.01.2005 द्वारा प्रार्थी को अवर अभियंता (सा0श्रे0) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है जो कि नियुक्ति आदेश से स्वतः स्पष्ट है। अतः यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थी की परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता के पद पर नियुक्ति की गयी है न की प्रोन्नति।	मा0 न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में U.P. State Electrcity Subordinate Electrical and Mechanical (E&M) Engineering Service Regulation 1972 के प्राविधानान्तर्गत नियम 5(बी) (ii) एवं 17(1) मे दी गयी व्यस्थानुसार चयन के माध्यम से आदेश सख्या 102–मा0सं0–03 / उनिलि / 2005–9(31) मा0सं0–03 / 2002 दिनांक 15.01.2005 द्वारा अवर अभियंता के पद पर धारा 3(7) का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नति की गयी।
8	अग्रतर सीधी भर्ती द्वारा विभागीय परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से अवर अभियंता के पद पर नियुक्त कार्मिको का आगमन बिन्दु है। जिससे कार्मिक को समयबद्ध वेतनमान का विकल्प चयन करने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सुनिश्चित की गयी है। उपरोक्त विकल्प का चयन करके ही इच्छुक अवर अभियंता (वर्तमान पद सहायक अभियंता) वर्ष 2012 से द्वितीय समयबद्ध वेतनमान (अधिशासी अभि0) से लाभन्वित भी है।	सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियंता का समयबद्ध वेतनमान गणना हेतु आगमन बिन्दु अवर अभियंता है तथा इन्हें नियमानुसार अधीक्षण अभियंता पद का तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य होता है परन्तु प्रोन्नति प्राप्त अवर अभियंताओं को अवर अभियंता के पद से अथवा अपने पूर्व के पद से जो भी लाभकारी हो समयबद्ध वेतनमान निगमादेश संख्या–24–मा0सं0– 02 / उनिलि / 2009– 12मा0सं0–02 / 2007 दिनांक 04.01.2010 मे निहित व्यवस्था द्वारा चुनने का विकल्प दिया गया है।
9	बिन्दु 08 के स्पस्टीकरण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्रांक 24– मा0सं0–02 /	इस सम्बन्ध में यह सूचनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निगामदेश संख्या 3072– मा0सं0–03 /

	उनिलि/2009–12मा0सं0–02/ 2007 दिनांक 04.01.2010 एवं पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 153–का0वि0नि0/रा0 वि0 प0–29/96–4(3)पी/86 दिनांक 03 अप्रैल 1996 का अवलोकन करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न) उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी से कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कार्मिक सहायक अभियंता के पद पर यथावत कार्यरत है। अतः प्रार्थी को पदावनत किया जाना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अन्याय पूर्ण होने के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2012 में निहित आदेश के अनुपालन हेतु शसनादेश संख्या 8/4/1/2012 टी0सी0– 01का–02/ 2015 दिनांक 21.08.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा निर्देश के विरूद्व है। दिनांक 21.08.2015 के शासनादेश में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये है कि यदि जिन कार्मिको को अधिनियम–1994 की धारा 3(7) अथवा नियम 8क का लाभ देकर प्रोन्नत की गयी है, उन कार्मिको से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हो उसी स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाए। अतः उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों/आधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्रार्थी को पदावनत करने सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण विषय विरूद्व एवं अवैधानिक निगमादेश सं0 3072–मा0सं0–03/उनिलि/2015 दिनांक 03.10.2015 एवं आदेश संख्या 3170–मा0सं0–01/वि0उ0 नि0लि0 दिनांक 06.10.2015 को निरस्त कर प्रार्थी को न्याय प्रदान करने की कृपा करे।	उनिलि/2015 दिनांक 03.10.2015 द्वारा पदावनत आदेश निर्गत किये गये जिसमें आपको अगले चयन में अर्थात वर्ष 2005 में चयनित मानते हुए सामान्य वर्ग के अन्तिम चयनित अवर अभियंता के ठीक नीचे वरिष्ठता क्रम में सज्जित/स्थापित किया गया है। चूँकि परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियंता पद पर धारा 3(7) का लाभ प्राप्त कर आपकी पदोन्नति की गयी थी। तद्नुसार अवर अभियंताओं की एकल वरिष्ठता सूची में आपको यथा संशोधित स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। अतः नियमानुसार संशोधित वरिष्ठताक्रम में आपको सहायक अभियंता पद पर अर्ह होने पर प्रोन्नत प्रदान की जायेगी जबकि अवर अभियंताओं की एकल वरिष्ठता सूची में आपसे कनिष्ठ अवर अभियंता को 3(7) का लाभ प्राप्त न होने के कारण पदावनत नहीं किया गया है एवं तद्नुसार उनकी सहायक अभियंता पद पर स्थिति यथावत है।

प्रबन्धक निदेशक

पत्र सं0: 888 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2016 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उनिलि शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (मा0सं0) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निग़म लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईधन/आर एण्ड एम/जानपद/जानपद एवं नव परियोजना/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक/मुख्य अभियंता, अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज, ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सोनभद्र/कानपुर/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि आपकी परियोजना पर तैनात सम्बन्धित कार्मिको को अपने स्तर से इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, जे रोड, सेक्टर सी, महानगर विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) उनिलि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ–226010
10. अनुसचिव (मा0सं0–01), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. सहायक अभियन्ता (डाटा बेस इकाई), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. सम्बन्धित कार्मिक को उनके पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदन एवं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिये गये प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में:–

1 जगदीश प्रसाद पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, अवर अभि0 हरदुआगंज तापीय परियोजना।
2 रामजी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
3 सन्त राम, पुत्र श्री मुन्नीर, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
4 संदीप कुमार पुत्र श्री हुकुम सिंह, अवर अभिगन्ता, अनपरा तापीय परियोजना।
5 अरूण कुमार, पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद अवर अभि0, ओ0 एण्ड एम0एस0डी0 'अ' ताप अनपरा सोनभद्र।
6 इन्द्रशेखर पुत्र स्व0 परशुराम, अवर अभियंता, अनपरा 'डी' तापीय परियोजना अनपरा।
7 सखा राम पुत्र स्व0 केवला प्रसाद, अवर अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना।
8 महावीर प्रसाद, पुत्र श्री यदुनन्दन प्रसाद अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
9 अजय कुमार बन्धु पुत्र श्री जगदीश राम, अवर अभि0, अनपरा तापीय परियोजना।
10 राजीव गौतमपुरी पुत्र श्री एस0आर0 गौतमपुरी, अवर अभि0 अनपरा तापीय परियोजना।
11 सीताराम पुत्र स्व0 शिव सागर, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
12 अतर सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह, अवर अभि0, हरदुआगंज तापीय परियोजना।
13 प्रेम शंकर पुत्र श्री मेघ सिंह, अवर अभियंता पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
14 हंस राज पुत्र श्री दौलत राम, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
15 तुफानी पुत्र श्री वीर सिंह, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
16 बादाम सिंह पुत्र श्री भज्जू, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
17 लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री मुन्नी लाल, अवर अभि0, पनकी तापीय परियेजना कानपुर।
18 अशोक कुमार पुत्र शम्भू नाथ, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
19 राम बाबू, श्री लच्छीमन, अवर अभियंता, ओबरा तापीय परियोजना, ओबरा–सोनभद्र।
20 विनय कुमार पुत्र श्री राम चरन, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
21 रामलाल पुत्र श्री शिवनाथ, अवर अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना।
22 राम सागर पुत्र स्व0 विजली, अवर अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना।
23 सीताराम पुत्र श्री राम सुन्दर, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
24 सूर्य प्रकाश पुत्र श्री राम प्रताप, अवर अभि0, अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र।
25 राजाराम पुत्र स्व0 झगरू राम, अवर अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना।
26 राम चरन सिंह, स्व0 खेम सिंह, अवर अभि0, बीएमडी–प्रथम अनपरा 'अ' तापीय परियोजना अनपरा।
27 गया प्रसाद पुत्र श्री शीतल, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
28 दसई राम पुत्र स्व0 तिलकधारी राम, अवर अभियंता, अनपरा 'अ' तापीय परियोजना।
29 रमाकान्त पुत्र स्व0 राम सेवक, अवर अभि0, मा0सं0 विभाग, अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र।
30 प्रेम कुमार, पुत्र श्री इन्दल प्रसाद, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
31 रमेश चन्द्र पुत्र श्री सुफल, अवर अभियंता अनपरा तापीय परियोजना।
32 सुन्दर लाल अहिरवार पुत्र श्री पन्ना लाल, अवर अभियंता, पारीछा तापीय परियोजना–झाँसी।
33 मुन्ना लाल पुत्र श्री याद राम, अवर अभि0, हरदुआगंज तापीय परियोजना।
34 राम नरेश पुत्र श्री गुलाब, अवर, अभियंता, अनपरा तापीय परियोजना।
35 कुसुमलाल कन्नौजिया पुत्र श्री छेदी लाल, अवर,, अभि0, पनकी तापीय परियेजना कानपुर।
36 यशपाल सिंह, पुत्र स्व0 लाखन सिंह, अवर अभि0, अनपरा 'द' ताप अनपरा–सोनभद्र।
37 राम प्रवेश प्रसाद पुत्र स्व0 फुदुर प्रसाद, अवर अभि0, अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र।
38 सुरेन्द्र नाथ राम पुत्र श्री सुकर राम, अवर अभि0, परि0 समूह 'द' अनपरा सोनभद्र।
39 मुरारी लाल पुत्र श्री गेंदालाल, अवर अभि0, अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र।
40 कमला प्रसाद पुत्र श्री जर्नादन प्रसाद, अवर अभियंता, परिचालन समूह 'द' अ ताप अनपरा।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–03)